नेशनल लोक अदालत जिला जबलपुर खंडपीठ क्रमांक 13
(पीठासीन अधिकारी–विवेक पटेल)
सदस्य 19वे, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जबलपुर

Registration No.	5930/2022

प्यारे लाल <u>विरूद्ध</u> बल्लू प्रसाद व अन्य

:::अधिनिर्णय:::
(दिनांक 13.12.2025 को पारित)

आज दिनांक 13.12.2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खंडपीठ के समक्ष आवेदक **प्यारे लाल यादव पिता गोरेलाल यादव, उम्र 34 वर्ष** एवं अनावेदक बीमा कंपनी **दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य **2,30,000/– रूपये (दो लाख तीस हजार रूपये)** में राजीनामा हुआ है। राजीनामा आवेदन के साथ आवेदक के बैंक खाते का विवरण आधारकार्ड की फोटोप्रति उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। मान्नीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वमोटो रिट पिटीशन सिविल नंबर 7/2024 इनरी कंपनशेशन अमाउंट डिपोजिटेड विथ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एवं लेबर कोर्ट में यह निर्देशित किया गया था कि आवेदक के खाता विवरण राजीनामा आवेदन में उल्लेखित होने की दशा में क्षतिपूर्ति राशि सीधे उसके खाते में जमा करने हेतु अधिकरण द्वारा आदेशित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा बैंक खाते का विवरण एवं वांछित दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इस कारण से आवेदक के खाते का सत्यापन बीमा कंपनी एवं अधिकरण के द्वारा नहीं किया जा सका है, परंतु उक्त दस्तोवजों के प्राप्ति तक आवेदक की तत्काल आवश्यकता एवं लोक कल्याणकारी अधिनियम होने को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत राजीनामा (डॉकेट) एवं राजीनामा आदेश को लंबित रखना न्यायोचित नहीं है। अतः विचारोपरांत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में **2,30,000/– रूपये (दो लाख तीस हजार रूपये)** दो माह के भीतर आवेदक को अदा करे एवं जमा करने की सूचना आवेदक/उसके अधिवक्ता को प्रदान करे तथा पावती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

2. दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

3. आवेदक द्वारा स्वयं का बैंक खाता विवरण इत्यादि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उसे निर्देशित किया जाता है कि आवेदक उक्त राशि बचत खाते के माध्यम से अदा किये जाने हेतु अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे अन्यथा की दशा में बीमा कंपनी अधिकरण के खाता **519302010195275 IFSC Code. UBIN0551937 में RTGS/NEFT** के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

4. उक्त संपूर्ण राशि आवेदक को **RTGS/NEFT** के माध्यम से नगद प्रदान की जावे।

5. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

6. अधिनिर्णय डिजीटल हस्ताक्षर कर नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

पीठासीन अधिकारी

सही–
(जे0पी0 चौधरी)
सदस्य
खंडपीठ क्र. 13 नेशनल लोक अदालत

सही–
(विवेक पटेल)
सदस्य 19वे मो.दु.दा.अधि.
खंडपीठ क्र. 13 नेशनल लोक अदालत

नोट–डिजिटल सिग्नेचर डोंगल एक्सपायर होने से वर्तमान में बनने की प्रक्रिया में है।